भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 184*

दिनांक 11.05.2016/21 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के अधीन दोषसिद्धि

***184. श्री के.के. रागेश :**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के लागू होने के बाद घरेलू हिंसा के लिए कितने लोगों को दोषसिद्ध ठहराया गया;

(ख) क्या उपरोक्त अधिनियम, 2005 के प्रवर्तन के बाद घरेलू हिंसा की घटनाओं और उनकी सूचना में हुए बदलावों के बारे में सरकार के पास कोई आंकड़े उपलब्ध है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क) से (ग) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

******

दिनांक 11.05.2016 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 184 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग) : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2014 के दौरान घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत कुल 13 व्यक्ति दोषसिद्ध किए गए हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के संबंध में वर्ष 2014 से ही आंकड़ों को एकत्र करना आरम्भ किया है। वर्ष 2014 के दौरान घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दर्ज मामलों, आरोपपत्रित मामलों, दोषसिद्ध मामलों, मामलों में दोषसिद्धि की दर, गिरफ्तार व्यक्तियों, आरोपपत्रित व्यक्तियों और दोष सिद्ध व्यक्तियों का ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

वर्ष 2014 के दौरान घरेलू हिंसा से महिलाओं कासंरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दर्ज मामले(सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), मामलों में दोषसिद्धि की दर (सीवीआर), गिरफ्तारव्यक्ति (पीएआर), आरोपपत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014						
		सीआर	सीएस	सीवी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	आंध्र प्रदेश	0	0	0	-	0	0	0
2	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	-	0	0	0
3	असम	1	1	0	-	1	1	0
4	बिहार	112	52	2	40.0	123	65	3
5	छत्तीसगढ़	0	0	0	-	0	0	0
6	गोवा	2	1	0	-	1	1	0
7	गुजरात	2	2	0	0.0	2	2	0
8	हरियाणा	4	5	0	0.0	3	8	0
9	हिमाचल प्रदेश	5	4	0	-	5	4	0
10	जम्मू एवं कश्मीर	0	0	0	-	0	0	0
11	झारखंड	5	2	0	0.0	4	2	0
12	कर्नाटक	0	0	0	-	0	0	0
13	केरल	140	106	2	12.5	116	115	2
14	मध्य प्रदेश	53	51	2	11.1	59	59	5
15	महाराष्ट्र	4	3	0	-	6	5	0
16	मणिपुर	0	0	0	-	0	0	0
17	मेघालय	0	0	0	-	0	0	0
18	मिजोरम	0	0	0	-	0	0	0
19	नागालैंड	0	0	0	-	0	0	0
20	ओड़िशा	0	0	0	-	0	0	0
21	पंजाब	2	0	0	-	2	0	0
22	राजस्थान	17	11	0	-	16	16	0
23	सिक्किम	0	0	0	-	0	0	0
24	तमिलनाडु	4	3	0	0.0	4	3	0
25	तेलंगाना	1	1	0	-	3	3	0
26	त्रिपुरा	0	0	0	-	0	0	0
27	उत्तर प्रदेश	66	67	2	100	345	350	2
28	उत्तराखंड	0	0	0	-	0	0	0
29	पश्चिम बंगाल	1	1	0	-	3	3	0
	कुल((राज्य)	419	310	8	17.4	693	637	12
30	अ.नि .द्वीपसमूह	0	0	0	-	0	0	0
31	चंडीगढ़	0	0	0	-	0	0	0
32	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	-	0	0	0
33	दमण एवं दीव	0	0	0	-	0	0	0
34	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	7	2	1	100.0	0	2	1
35	लक्षद्वीप	0	0	0	-	0	0	0
36	पुडुचेरी	0	0	0	-	0	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	7	2	1	100.0	0	2	1
	कुल (अखिल भारत)	426	312	9	19.1	693	639	13

स्रोत: भारत में अपराध

पुलिस/न्यायालयों द्वारा मामलों के निपटान /व्यक्तियों में पिछले वर्षों के मामले/व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं।

मामलों में दोषसिद्धि की दर (सीवीआर) = दोषसिद्ध मामले/विचारण पूर्ण हो चुके मामले x 100

*****